(12) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (केन्द्रीय);

(13) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना (केन्द्रीय प्रायोजित);

(14) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास (केन्द्रीय);

(15) अत्यन्त अल्प साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम;

(16) अनुसंधान और प्रशिक्षण (केन्द्रीय)।

संशोधित वक्फ अधिनियम

2973. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित वक्फ अधिनियम, 1984 का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984, को मुस्लिम सम्प्रदाय की विचारधारा के विभिन्न क्षेत्रों से उठाई गई आपत्तियों के कारण पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। केवल धारा 66 जी और 66 एच लागू की गई है।

(ख) संशोधन अधिनियम के प्रति प्रमुख आपत्तियां निम्न प्रकार थी :—

(1) यह कि वक्फ आयुक्त को अधिभावी शक्तियां प्रदान की गई थीं;

(2) वक्फ बोर्ड पूर्णतः स्वायत्त निकाय नहीं थे। सुझाव था कि या तो पूर्णतः अथवा मुख्यतः निर्वाचित निकाय हो;

(3) वक्फ (संशोधन) अधिनियम में प्रयुक्त विशिष्ट अभिव्यक्तियों के संकेतार्थों के बारे में शंका व्यक्त की गई थी।

(ग) मुस्लिम मंत्रियों, संसद सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् एक विधेयक अर्थात् वक्फ विधेयक, 1993 राज्य सभा में दिनांक 27 अगस्त, 1993 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के प्रावधान विद्यमान वक्फ अधिनियमों का स्थान लेंगे और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का समाधान उस हद तक करेंगे जो बैठक के दौरान आम सहमति के आधार पर तय की जा सके।

Reservation for Backward Classes in Private Sector

2974. SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether with a view to open up more employment opportunities for backward classes in the country, Government propose to extend reservation for backward classes in the private sector also;

(b) if so, what steps are contemplated by Government in this regard; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, whether Government would consider the matter ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no provision in the Constitution under which reservation for Backward Classes in the Private Sector can be provided.

मुसलमानों के लिए आरक्षण

2975. **श्री चिमनभाई मेहता :**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने हाल ही में मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के संबंध में विचार व्यक्त किए है ;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री के विचार व्यक्तिगत है या सरकार के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं ; और

(ग) क्या माननीय मंत्री ने इस संबंध में कभी कोई स्पष्टीकरण दिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, हां। मैंने न केवल मुसलमानों को बल्कि सिख, ईसाई तथा बौद्ध जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को भी उनके आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए थे।

तथापि, अपने विचारो को व्यक्त करते समय, मैंने स्पष्ट किया था कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव सभी वर्गों के साथ विचार-विमर्श करके आम सहमति के बाद लाया जाएगा।